

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 45/2025

प्रार्थी -
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. पवन कुमार पुत्र वंशीलाल जाति जैन निवासी जूना केराडू मार्ग, महावीर सर्किल, बाड़मेर (मैसर्स विरात्रा ट्रेडिंग कंपनी, सी-5 कृषि उपज मण्डी का विक्रेता)
2. गट्टु देवी पत्नी वंशीलाल निवासी मौखाब कला, बाड़मेर (मैसर्स विरात्रा ट्रेडिंग कंपनी, सी-5 कृषि उपज मण्डी की मालिक)
3. M/s Shre Harsh Dairy And Food Products Pvt LTD, Plot No. 14, 15 Gopishri Industrial Estate, Near Gopal Estate, Village Dhamatvan, Taluka: Daskroi, Ahmedabad-382435

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपरिस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री भूरचंद जांगिड़, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 23.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स विरात्रा ट्रेडिंग कंपनी, सी-5 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 19.



02.2024 को खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोपी श्री जो अलग-अलग पैकिंग में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार एक-एक लीटर के चार मूल पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2431 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोपी श्री का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोपी श्री का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 ने अपनी बहस में यह तथ्य प्रकट किया कि लेब रिपोर्ट में बिदू संख्या 4 पर जो Saponification value की मात्रा अधिक आई है, वह आद्रता व नमी के कारण बढ़ी है। अतः उक्त परिवाद को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दरतावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक (Substandard) पाया गया। प्रयोगशाला जांच में Test For foreign fat का मानक स्तर Foreign fat should be Absent के मुकाबले foreign fat present पाया गया है तथा Saponification value का मानक स्तर 205-235 के मुकाबले 245.98 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 ने अपनी बहस में यह तथ्य प्रकट किया कि लेब रिपोर्ट में बिदू संख्या 4 पर जो Saponification value की मात्रा अधिक आई है, वह आद्रता व नमी के कारण बढ़ी है। अतः उक्त परिवाद को खारिज



फरमाने का निवेदन किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हरतगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर रूपये 20,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Handwritten Signature]

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर